खूँटी समाहरणालय
जिला बाल संरक्षण इकाई
संचिका सं० ..../पत्रांक ..../जि०बा०सं०

Contact No.- 9801117854, Email- dcpskhunti@gmail.com

Address :- vikash Bhavan, Near oppositie petrol pump, khunti

विज्ञापन संख्या–01/2026

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,2012 (POCSO) एवं नियम 2020 के अन्तर्गत सहायक व्यक्तियों (Support Persons)की सेवा लेने हेतु पैनल के निर्माण के लिए जिला स्तर पर प्रति केस शुल्क आधारित चयन :–

सरकार के सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या–526/SP-POCSO/JSCPS/2023–24–2685,राँची/दिनांक–24.10.2024,एवं अधिसूचना संख्या–526/SP-POCSO/JSCPS/2023–24–124, राँची/दिनांक–15.01.2026 के आलोक में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) एवं नियम 2020 में वर्णित प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने हेतु सहायक व्यक्तियों की सेवा प्राप्त किया जाना है। इस हेतु सहायक व्यक्तियों का पैनल निर्माण किये जाने के लिए जिला स्तर पर प्रति केस शुल्क आधारित सेवा दिये जाने वाले इच्छुक अनुभवी एवं योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	उम्र	शुल्क प्रति केस
1	सहायक व्यक्ति (Support Person)	जिले में मामलों की संख्या के 1:10 अनुपात के अनुसार	35 से 60 वर्ष	**अधिकतम प्रति केस 5000/–** (म०बा०वि० एवं सा०सु०वि०) झारखंड के अधिसूचना संख्या–525/दिनांक–09.05.2025 के क्र०सं०–1 के आलोक में

(A) शैक्षणिक योग्यता :–

कला/वाणिज्य/विज्ञान/विधि/मनोविज्ञान/सामाजिक कार्य/बाल मनोविज्ञान/स्थानीय भाषा में स्नातकोत्तर या किसी भी संकाय में स्नातक एवं संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का कार्यानुभव।

(B) **कार्यानुभव :–**

बाल अधिकार/बाल संरक्षण/विधि कार्य/सामाजिक कार्य/बाल मनोविज्ञान/परामर्शदाता/ समाज शास्त्र/मनोविज्ञान के क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का वांछनीय कार्यानुभव।

DLSA/JHALSA/DCPO/CWC/JJB/POCSO न्यायालय में कम से कम एक वर्ष का वांछनीय कार्यानुभव।

नोटः–अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता के द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे। किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं होगा।

(C) साक्षात्कार :–

वांछित अहर्त्ता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को उक्त हेतु गठित चयन समिति द्वारा आयोजित साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। चयन समिति आवेदन की शैक्षणिक योग्यता/कार्यानुभव/बाल संरक्षण/किशोर न्याय (बालकों का देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम) के तहत कार्य करने का अनुभव और बालक के साथ काम करने के अनुभव और व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर मूल्यांकन करेगी और सहायक व्यक्तियों (Support Persons) के लिए नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी।

(D) मूल्यांकन :–

शैक्षणिक योग्यता

क्र0	शैक्षणिक योग्यता	अंक
1	स्नातक	6
2	स्नातकोत्तर	3
3	अन्य	1
कुल		10

- कार्यानुभव :–प्रतिवर्ष के लिए 01 अंक अधिकतम 10 अंक।
- साक्षात्कार :– 30 अंक अधिकतम।

(E) **सहायक व्यक्तियों की पैनल का निर्माण :–**

1. चयन समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध कर सूची का प्रकाशन जिला बाल संरक्षण इकाई, खूँटी के कार्यालय में किया जायेगा।

2. सहायक व्यक्तियों के सूचीबद्धता में 60 प्रतिशत महिला सदस्य एवं 40 प्रतिशत पुरूष सदस्य होंगें विशेष परिस्थिति में जहाँ पर महिला सदस्य उपलब्ध नही हो तो, उनके स्थान पर पुरूष सदस्य को सूचीबद्ध किया जा सकता है।

3. सहायक व्यक्तियों को 03 वर्ष की अवधि के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा, जिनके कार्यों का समीक्षा वार्षिक आधार पर चयन समिति के द्वारा करते हुए सूचीबद्ध सहायक व्यक्तियों के संबंध में निर्णय लिया जायेगा एवं 03 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के 02 माह पूर्व नए पैनल का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। पैनल की अवधि निर्माण से पूर्व नये पैनल का निर्माण कर लिया जायेगा।

4. सूचीबद्ध सहायक व्यक्तियों के आपराधिक चरित्र का सत्यापन अनिवार्य रूप से स्थानीय पुलिस द्वारा करवाया जायेगा एवं किसी भी सूचीबद्ध सहायक व्यक्ति के खिलाफ स्थानीय थाना में कोई आपराधिक मामला दर्ज पाया जायेगा तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा सकती है तथा उनकी सूचीबद्धता रद्द कर दी जायेगी।

(F) **सहायक व्यक्तियों(Support Persons)का कार्य दायित्व :–**

सहायक व्यक्तियों(Support Persons) का कार्य दायित्व महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड राँची के अधिसूचना संख्या–526/SP- POCSO/JSCPS/2023–24–2685, राँची/दिनांक–24.10.2024 द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) एवं नियम 2020 के अन्तर्गत सहायक व्यक्तियों(Support Persons) के लिए दिशा–निर्देश बिंदु 4 में वर्णित सहायक व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ एवं उसके कर्त्तव्य के अनुसार होंगे।

(G) **शुल्क भुगतान :–**

सहायक व्यक्तियों(Support Persons)को बाल कल्याण समिति द्वारा आवंटित प्रति केस की दर से अधिकतम 5000/–रू0 प्रति केस किस्तवार महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड राँची के अधिसूचना संख्या–526/SP-POCSO/JSCPS/2023–24–525, राँची/दिनांक–09.05.2025 के क्र0सं0–01 के आलोक में देय होगा।

(H) **नियम एवं शर्तें :–**

1. आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में हीं स्वीकार किया जाएगा।
2. अपूर्ण/अस्पष्ट/त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित माप दण्डों को पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं इस संबंध में अभ्यर्थी को सूचना नहीं दी जाएगी।

3. लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम, प्रेषक का नाम एवं पत्राचार/पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
4. अभ्यर्थी द्वारा आवेदित पद से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाणपत्र एवं उम्र प्रमाण पत्र का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
5. अभ्यर्थी द्वारा संलग्न प्रमाण पत्रों का सत्यापन के उपरांत अंतिम निर्णय चयन समिति द्वारा लिया जायेगा।
6. उम्र सीमा की गणना विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से की जाएगी।
7. उक्त पद में साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।
8. किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अवैध/फर्जी पाए जाने पर चयन समिति को चयन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा तथा देय राशि नियम संगत वसुली की जाएगी।
9. आवेदन के साथ शपथ पत्र(नोटरी/कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत की मूल प्रति संलन)करना अनिवार्य होगा कि उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार का वाद न्यायालय में दर्ज/लंबित नहीं है।
10. निर्धारित अहर्ता एवं शर्तों को पुरा न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक का आवेदन निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
11. सहायक व्यक्तियों के पैनल निर्माण में स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
12. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राज भाषा विभाग के पत्रांक–5752/दिनांक–19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक–19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होगा। दिनांक–19.07.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
13. किसी भी विवाद की स्थिति में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
14. विभागीय अधिसूचना सं0–2685,रांची/दिनांक–24.10.2024 एवं अधिसूचना सं0 –124, रांची/दिनांक 15.01.2026 के आधार पर चयन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

15. आवेदन की प्रक्रिया :–

i) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 04.05.2026, अपराह्न 5:00 बजे तक है।अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ii) आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से निम्न पते पर भेजा जा सकता है, **सेवा में, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, विकास भवन द्वितीय तल्ला कमरा संख्या 02 समाहरणालय, खूँटी – 835210**

iii) आवेदन हेतु प्रपत्र, नियम एवं शर्तो की विस्तृत जानकारी **www.khunti.nic.in** पर उपलब्ध है।

18/04/26
प्रभारी पदाधिकारी,
सामाजिक सुरक्षा कोषांग,
खूँटी।

ज्ञापांक 132/बा०सं०/26 दिनांक 18/04/2026

प्रतिलिपि:– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, खूँटी को सूचनार्थ एवं अनुरोध है, कि उक्त विज्ञापन को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि:– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खूँटी को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि उक्त सूचना को खूँटी जिले के वेबसाईट www.khunti.nic.in पर अपलोड कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि:– उप विकास आयुक्त, खूँटी को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:– उपायुक्त, खूँटी को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:– निदेशक–सह–सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था, रांची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

18/04/26
प्रभारी पदाधिकारी,
सामाजिक सुरक्षा कोषांग,
खूँटी।

आवेदन हेतु विहित प्रपत्र

सेवा में,

जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी,

खूँटी ।

1. आवेदित पद का नाम –..	स्वअभिप्रमाणित फोटो
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) –	
आवेदक का नाम (अंग्रेजी में) –	
3. पिता / पति का नाम –..	
4. जन्म तिथि (अंकों में) –...	
जन्म तिथि (शब्दों में) –	

5. लिंग (पुरुष / महिला) – ....

6. स्थायी पता –..

....

....

7. पत्राचार का पता –..

....

....

8. मोबाईल नं० –.. ई–मेल आई०डी०–..............................

9. कोटि (अ०जा० / अ०ज०जा० / अ०पि०व० / आ०क०व० / सामान्य) – ....

10. क्या आवेदक शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? ....

11. विवाहित / अविवाहित / विधुर / परित्यक्तता – ....

12. शारीरिक रूप से दिव्यांग (प्रमाण पत्र सहित) – ....

13. शैक्षणिक योग्यता : –

परीक्षा का नाम	उत्तीर्णता वर्ष	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	श्रेणी

14. अन्य योग्यता का विवरण :– ....

15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :–

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण		कार्यानुभव की कुल अवधि	कार्यानुभव का क्षेत्र
		कब से	कब तक		

<u>घोषणा</u>

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हुँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्ध वैद्यानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर